सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 771 **28 Aashwin, 1938 (S)**
Ranchi, Friday, 20th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

18th October, **201**7

S.O. No. 105 - Dated 20th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

एस० ओ० 105 दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्की सिफारिशों पर,किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ,जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं था या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है,में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम होने कि संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित 15 उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर **राज्य** कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

2. यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 771-- 50.